न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 82/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/529)

1. काशीराम पुत्र भौर्या,
2. धापा पुत्री भौर्या,
3. फूली पुत्री भौर्या,
4. बालूराम पुत्र गोविन्दा,
5. बाली पुत्री भौर्या,
6. महादेव पुत्र रामकुंवार,
7. रोशनलाल दत्तक पुत्र सोन्या,
8. हीरा पुत्री भौर्या, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सींगपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौरी देवी पत्नि टुण्डाराम,
2. काल्या पुत्र टुण्डाराम,
3. रामकेश पुत्र टुण्डाराम,
4. रामकिशोर पुत्र टुण्डाराम,
5. शंकर पुत्र टुण्डाराम,
6. श्यामलाल पुत्र टुण्डाराम, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गुढा सम्पतपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील राहूवास जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 02.06.2023 प्रकरण संख्या 16/2023 उनवानी भौरी देवी बनाम राज0 सरकार पर पारित किया गया।

उपस्थित–

1. **श्री उमेश गौड, वकील अपीलान्ट**
2. **श्री आलोक चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से**
3. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांक –18.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 02.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ 03.10.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवम कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 68/3 रकबा 2.5293 है0 खसरा नम्बर 145/77 रकबा 0.3794 है0 व खसरा नम्बर 148/76 रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम गुढा सम्पतपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति अथवा संस्था का कोई लेना देना व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी बाबत विवाद होने से उक्त आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में आराजी वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर अपने पूर्वजों के समय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

से काबिज होकर लगातार काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं होने से पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को आये दिन खेतों की सीमाओं को लेकर हैरान व परेशान किया जाता है जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.03.2023 को तहसील राहूवास को प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई कि उक्त आराजी वादग्रस्त का राजस्व टीम द्वारा पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.04.2023 को अप्रार्थी से आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने न्यायालय से सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। इसलिए उक्त आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थीगण को कानूनन हक अधिकार हासिल है कि वह आराजी वादग्रस्त का सीमांकन कर प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 68/3 रकबा 2.5293 है0, खसरा नम्बर 145/77 रकबा 0.3794 है0 व खसरा नम्बर 148/76 रकबा 0.0253 है0 वाके भूमि वाकै ग्राम गुढा सम्पतपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी राजस्व कर्मचारियों मय पुलिस इमदाद करवाये जाने हेतु तहसीलदार राहूवास को आदेशित फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगाायत 6 का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को निर्देश दिये गये कि आप प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करते हुये मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 02.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस श्री काशीराम पुत्र भौर्या वगै0 द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 02.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया कि वह आराजी वादग्रस्त का सीमांकन कर प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 68/3 रकबा 2.5293 है0 खसरा नम्बर 145/77 रकबा 0.3794 है0 व खसरा नम्बर 148/76 रकबा 0.0253 है0 वाके भूमि वाकै ग्राम गुढा सम्पतपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी राजस्व कर्मचारियों मय पुलिस इमदाद करवाये जाने हेतु तहसीलदार राहूवास को आदेशित फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगाायत 6 का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को निर्देश दिये गये कि आप प्रार्थीगण की

खातेदारी भूमि की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करते हुये मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 79/4 वाके ग्राम गुढा सम्पतपुरा तहसील राहूवास में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट की वादग्रस्त भूमि से सटकर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं सुनवाई का मौका फरमाये जैर अपील आदेश दिनांक 02.06.2023 पारित करके गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। दिनांक 20.06.2023 को हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर द्वारा मौका पर्चा ग्राम गुढा सम्पतपुरा बनाया गया जिसमें इस बात का अंकन किया गया कि सीमा पर मौके पर स्थित कांकडो का मिलान किया गया लेकिन मौके पर कांकड मिलान करने पर सही नही पाये गये तथा ना ही कोई चौक तिमेडा सही नही पाया गया खसरा नम्बर 68/3, 145/77, 148/176 के आस पास कोई पुख्ता प्वाइंट नहीं होने के कारण उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता तथा आस पास के किसी भी खेत की सीमा सही नहीं पाई गई जिसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 की आड में तहसीलदार राहूवास अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 79/4 वाके ग्राम गुढा सम्पतपुरा से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण के हित निहीत है अपीलान्ट एग्रीव्ड परसन है जिन्हे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। दिनांक 20.09.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को कहा कि न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी पालना जल्द ही करवाई जाकर भूमि से बेदखल करेंगे जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आकर तलाश किया व नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 28.09.2023 को प्राप्त होने पर उक्त प्रश्नगत आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई है जिससे जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 6 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 68/3 रकबा 2.5293 है0, खसरा नम्बर 145/77 रकबा 0.3794 है0, व खसरा नम्बर 148/76 रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम गुढा सम्पतपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति अथवा संस्था का कोई लेना देना व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी बाबत विवाद होने से उक्त आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में आराजी वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं होने से पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को आये दिन खेतों की सीमाओं को लेकर हैरान व परेशान किया जाता है जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.03.2023 को तहसील राहूवास को प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई कि उक्त आराजी वादग्रस्त का राजस्व टीम द्वारा पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.04.2023 को अप्रार्थी से आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने न्यायालय से सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। इसलिए उक्त आराजी वादग्रस्त का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थीगण को कानूनन हक अधिकार हासिल है कि वह आराजी वादग्रस्त का सीमांकन कर प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 68/3 रकबा 2.5293 है0 खसरा नम्बर 145/77 रकबा 0.3794 है0 व खसरा नम्बर 148/76 रकबा 0.0253 है0 वाके भूमि वाकै ग्राम गुढा सम्पतपुरा तह0 राहूवास जिला दौसा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी राजस्व कर्मचारियों मय पुलिस इमदाद करवाये जाने हेतु तहसीलदार राहूवास को आदेशित फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगाायत 6 का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को निर्देश दिये गये कि आप प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करते हुये मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदारी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 79/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की आराजी खसरा नम्बर 68/3 एवं 145/77 के सीमाजोड़ लगती हुई पडौस में स्थित है जिससे अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। साथ अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण उन्हे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है तथा अनेकों अपर न्यायालयों द्वारा अपील/प्रार्थना पत्रादि को प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसे में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए व प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पडौसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

खातेदार काश्तकार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2023 पारित किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2023 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।